संख्या- 116/2020/3495/71-1-2020-जी-271/2016

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 01 सितम्बर, अक्टूबर 2020

विषय:- कोविड-19 के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/362, दिनॉक 07-09-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-05-001-03-निदेशन में मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 29.25 लाख की बचत को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय हेतु मानक मद-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रू0 5.00 लाख, 13-टेलीफोन पर व्यय में रू0 1.25 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 13.00 लाख तथा 42-अन्य व्यय में रू0 10.00 लाख कुल रू0 29.25 लाख (रू0 उन्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 एवं शासनादेश दिनॉक 11.04.2020 तथा 18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

5- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

6- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

8- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-869/दस-2020, दिनॉक 25 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:- 116/2020/3495(1)/71-1-2020 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

htp/saaeh pnci

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भंली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	वित्तीय वर्ष 2020-21	प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशन–					
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान–	100.00	30.00	30.00 29.25	30.00 29.25	70.00 69.75
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान–	88.00	39.25	39.25	39.25	48.75
योग–	**188.00** 100.00	**69.25** 30.00	**69.25** 29.25	**69.25** 29.25	**118.75** 69.75

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशन–					
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई–	8.00	13.00	5.00	5.00	13.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण–	3.00	8.00	5.00	5.00	8.00
13–टेलीफोन पर व्यय–	2.50	3.75	1.25	1.25	3.75
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद–	22.00	35.00	13.00	13.00	35.00
42–अन्य व्यय–	10.00	55.00 20.00	45.00 10.00	45.00 10.00	55.00 20.00
योग–	**45.50**	**114.75** 16.75	**69.25** 29.25	**69.25** 29.25	**114.75** 66.75

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय हेतु मानक मद–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 30.00 लाख तथा मानक मद–58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 39.25 लाख, इस प्रकार कुल रू0 69.25 30.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–981/71–1–2020–जी–228/2017टी0सी0 दिनांक–26.03.2020 द्वारा वर्तमान समय में फैली महामारी कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के उपचार एवं रोकथाम हेतु चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में स्थापित कोविड–19 कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का 24X7 संचालित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त शासनादेश द्वारा निर्देशित किया गया है कि COVID-19 C.C.C से सम्बद्व अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाऍ यथा जलपान, सेनेटाईजेशन, प्रवेश पास, 24X7 लिफ्टों का संचालन, पावर बैकअप, आई0टी0 फैसलिटी इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, जिसके कारण उक्त मदों में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय हेतु मानक मद–11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई में रू0 5.00 लाख, मानक मद–12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रू0 5.00 लाख, मानक मद–13–टेलीफोन पर व्यय में रू0 1.25 लाख, मानक मद–15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 13.00 लाख तथा मानक मद–42–अन्य व्यय में रू0 45.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 69.25 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या– R.C. 76/ई-3-869/ए-2020 दि॰ 24/9/2020

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

116/2020

संख्या– 3495 (1)/71–1–2019 तद्दिनॉक, दिनॉक 01 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

3– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5– संबंधित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी।

6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),

अनु सचिव